उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

2018 - 2019

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–515

उत्तर प्रदेश
के
आय–व्ययक का
आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

(2018–2019)

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश

दिसम्बर – 2018

website http:// updes.up.nic.in.

प्राक्कथन

आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से तैयार कर रहा है। प्रदेश में यह कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्य रुप से वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरण, वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन तथा वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन के विभिन्न मदों के अधीन व्यय अनुमान दर्शाये गये है।

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत व्यय के मदों को कार्य के आधार पर विभिन्न नौ भागों यथा सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था, सामान्य शोध, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, आवास एवं सामुदायिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, आर्थिक एवं अन्य सेवाओं में बांटते हुये चालू व्यय एवं पूंजीगत व्यय/परिव्यय का आंकलन दर्शाया गया है।

आय-व्ययक वर्गीकरण की प्रस्तुत पुस्तिका को श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक, श्रीमती मालोविका घोषाल, संयुक्त निदेशक, श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक की कुशल देख-रेख में तैयार किया गया है। राज्य आय अनुभाग के श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र तथा सुनील कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, श्रीमती आभा, कनिष्ठ सहायक तथा ग्राफ अनुभाग के सहायकों के द्वारा किया गया परिश्रम विशेष रुप से सराहनीय है।

आशा है प्रस्तुत अंक पूर्व अंकों की भांति प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनिर्धारकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

(नीना शर्मा) 24/12/18
आई0ए0एस0
निदेशक, अर्थ एवं संख्या।

लखनऊः

दिनांकः 24, दिसम्बर, 2018

विषय–सूची

भाग–1 – आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1–	भूमिका	1 – 4
2–	लेखा विवरण	5 – 14
3–	सामंजस्य	15 – 18
4–	कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	19 – 25
5–	लेखाओं पर टिप्पणी	26 – 31

भाग–2 – कार्यात्मक वर्गीकरण

6–	(1) आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण	32
	(2) कार्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धान्त	32 – 33
	(3) सारणियां	33 – 53
7–	कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी–	54 – 57
	परिशिष्ट–1 (अ) कार्यात्मक वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	58 – 59
	1 (ब) कार्यात्मक वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	60 – 61

.....

भाग–1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय––1

भूमिका

1.1– आय–व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमे सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमे प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन–देन का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष आय–व्ययक स्मृति–पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें क्रमागत तीन वर्षो, गत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय–व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियत्रंक की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अर्न्तगत रहता है। इस प्रकार आय–व्ययक केवल वैधानिक नियत्रंण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन–देन के लेखा सम्परीक्षा सम्बंधी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2– पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ने के साथ आय–व्ययक सम्बंधी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि–विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किये गये है। फिर भी आय–व्ययक में दिये गये आंकड़ों का वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन–देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नही हो पाता है। उदाहरणार्थ आय–व्ययक सम्बंधी संसाधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देन से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय–व्ययक से नही हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गये वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किये गये व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिये ।

1.3– राज्य सरकार के आय–व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत सम्बंधी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रुप में बांटा जाता है। आय–व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अर्न्तगत चालू खपत सम्बंधी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बंधी व्यय पृथक–पृथक कितना है। उदाहरण के लिये खपत सम्बंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः राजकीय लेन–देन का अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ व्यवस्था के अन्य खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बंधी प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता हैं। शेष अर्थ व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं– जैसे– केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी व्योरेवार

व्यय को पृथक करके उनको अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूंजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रुप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को सम्बंधित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अर्न्तगत बांटकर दिया गया है।

1.4 उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से तैयार कर रहा है।

1.5- इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के समान ही है, अर्थात् वर्ष 2018-2019 के लिये आय-व्ययक में दिये गये वर्ष 2016-2017 के वास्तविक व्यय, वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रुप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6- राज्य सरकार के समस्त लेन-देन को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया । वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किये गये। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचार के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बंधी व्यय का आधा पूंजीगत तथा आधा भाग खपत सम्बंधी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया तथा दूसरी ओर 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन को अन्तरण से पृथक कर दिया गया। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन से चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के 'वस्तुओं और सेवाओं' पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जबकि वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है- जैसे कच्चा माल, ईधन इत्यादि के मूल्य । इसी प्रकार शुद्ध विभागीय लेन-देन को भी 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन एवं अन्तर से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुये विचार विमर्श के अनुसार कार्यात्मक वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किये गये जिसके अनुसार पूर्व वर्षो में प्रस्तुत मद-5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाओं को दो उपमदों "समाज कल्याण सेवायें" तथा "समाज सुरक्षा सेवाओं" में विभक्त कर दिया गया।

मद-8.5 परमाणविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रुप में जोड़ी गई । इसी प्रकार मद-9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों "विपदा सहायता" तथा "अन्य विविध कार्य" में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किये गये। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर किये गये व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर चालू अन्तरण माना गया तथा आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गये व्यय को कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेंशन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुये व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुन: कार्यात्मक वर्गीकृत मदों के वेतन और मजदूरी सम्बंधी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं पर हुये व्यय में से किराये की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रुप में प्रस्तुत किया गया।

1.7- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी समस्त लेन-देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा में दो पक्ष है- आय पक्ष तथा व्यय पक्ष

लेखा 1-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- सरकारी प्रशासन का चालू खाता।
लेखा 2-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।
लेखा 3-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 4-वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन - सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 5- वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन - सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 6-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।

1.8- प्रस्तुत पुस्तिका में आय-व्ययक के कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बंधी वर्ष, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 , 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 तथा 2016-2017 के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रुप में दिखायी गयी है।

अध्याय-2

लेखा विवरण

2.1- आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा-1 से 3 सरकार के वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से सम्बंधित है। लेखा-1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बंधी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्यौरा दिया गया हैं, जिसमें खपत सम्बंधी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेंशन तथा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया गया हैं। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे- वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2- लेखा- 4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का ब्यौरा दिया गया है जो शेष अर्थ व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा- 4 में वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बंधी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित हैं। लेखा- 5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप तथा विप्रेषण सम्मिलित किया गया है। लेखा- 6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा- 3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुये राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बंधित समस्त लेन-देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3- उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिये गये है।

.....

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय-	**6723001**	**9917491**	**11685043**
1.1- कर्मचारियों को प्रतिकर	**6213482**	**7901802**	**9398250**
(क) मजदूरी और वेतन	3634537	4483480	5234446
(ख) पेंशन	2578945	3418322	4163804
1.2- वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय-	**509519**	**2015689**	**2286793**
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्रय*	2144053	2314055	2642970
(ख) घटाइयें- वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	1634534	298366	356177
2- अन्तरण अदायगियां-	**13471920**	**15885897**	**16067502**
2.1- ब्याज	**2580978**	**2953890**	**3167142**
2.2- अनुदान-	**8333345**	**7077981**	**8931128**
(क) स्थानीय निकायों को	1220839	1408902	1460968
(ख) सहकारी संस्थाओं को	0	0	0
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	5079622	4286460	5336603
(घ) अन्य संस्थाओं	2032884	1382619	2133557
2.3- राज सहायता**	**1457422**	**1957399**	**2121309**
2.4- अन्य चालू अन्तरण	**1100175**	**3896627**	**1847923**
3- चालू खाते में बचत	3154077	2773883	5067605
4- योग	**23348998**	**28577271**	**32820150**

* 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 12303 लाख रु0, 17237 लाख रु0 एवं 18703 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बंधी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

** 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में वानिकी, उद्योग तथा सिंचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 658705 लाख रु0, 924693 लाख रु0 एवं 970483 लाख रु0 राज सहायता मान कर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

–1

–सरकारी प्रशासन का चालू खाता **(लाख रुपयों में)**

	राजस्व	वास्तविक 2016–2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017–2018	आय–व्ययक अनुमान 2018–2019
	5	6	7	8
	5– कर राजस्व–	**19500884**	**21494189**	**25427143**
	5.1– प्रत्यक्ष कर	**7756728**	**11576998**	**16928042**
	(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	2439387	3130588	8065266
	(ख) राज्य कर	5317341	8446410	8862776
	5.2– अप्रत्यक्ष कर–	**11744156**	**9917191**	**8499101**
**	(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	476022	145556	144023
	(ख) राज्य कर	11268134	9771635	8355078
	6– उद्यमों और सम्पत्तियों से आय–	**112281**	**88728**	**109238**
	6.1– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	0	0	0
	6.2– विनियोग से आय	8699	818	843
	6.3– राज्य विद्युत परिषद् से ब्याज की प्राप्तियां	0	0	0
	6.4– ब्याज की प्राप्तियां	3905	8678	8677
	6.5– सम्पत्तियों से अन्य आय	99677	79232	99718
	7– परिवारों से अन्तरण	9703	5460	5460
	8– राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ व्यवस्था से वसूलियां	3726130	6988894	7278309
	9– योग	**23348998**	**28577271**	**32820150**

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- मजदूरी और वेतन	517465	721243	862003
2- वस्तुएं और सेवाएं	168758	223072	229072
3- किराया	0	0	0
4- मरम्मत और अनुरक्षण	40467	70591	50705
5- ब्याज	52734	65912	65913
6- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	0	0	0
7- ग्रहीत लाभ	0	0	0
8- सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	0	0	0
9- योग	**779424**	**1080818**	**1207693**

सरकार

-2

-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता (लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
5	6	7	8
10- विक्रय से आय-	**779424**	**1080818**	**1207693**
(क) वन*	88073	117209	140899
(ख) सिंचाई**	674109	942484	1044084
(ग) दूध सम्पूर्ति	0	0	0
(घ) राजकीय मुद्रणालय #	17242	21125	22710
(ड.) उद्योग ##	0	0	0
11- अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	0	0	0
12- योग	**779424**	**1080818**	**1207693**

*वानिकी द्वारा वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 62776 लाख रु0, 72209 लाख रु0 एवं 93399 लाख रु0 सम्मिलित है।

**सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 595929 लाख रु0, 852484 लाख रु0 एवं 877084 लाख रु0 सम्मिलित है।

#राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 12303 लाख रु0,17237 लाख रु0 एवं 18703 लाख रु0 सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 0 लाख रु0, 0 लाख रु0 एवं 0 लाख रु0 सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

संवितरण	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- सकल पूंजी निर्माण-	**5502930**	**4931424**	**6132244**
(अ)- सरकारी प्रशासन द्वारा	**4994027**	**4550672**	**5409980**
1.1- भवन तथा अन्य निर्माण-	**4553526**	**4349808**	**5211486**
क- भवन निर्माण-	**1700088**	**1866077**	**2312756**
(1)- नया परिव्यय	1700088	1866077	2312756
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	**2853438**	**2483731**	**2898730**
(1)- नया परिव्यय	2853438	2483731	2898730
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.2- मशीन एवं उपकरण-	**151241**	**200854**	**198493**
(1)- नया परिव्यय	151241	200854	198493
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.3- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि-	**289260**	**10**	**1**
(1)- निर्माण सम्बंधी सामान	3566	0	0
(2)- अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार	285694	10	1
(ब)- वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	**508903**	**380752**	**722264**
1.4- भवन तथा अन्य निर्माण-	**494948**	**376517**	**717989**
क- भवन निर्माण-	**4576**	**4422**	**3937**
(1)- नया परिव्यय	4576	4422	3937
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	**490372**	**372095**	**714052**
(1)- नया परिव्यय	490372	372095	714052
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.5- मशीन एवं उपकरण-	**6320**	**4235**	**4275**
(1)- नया परिव्यय	6320	4235	4275
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.6- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि	**7635**	**0**	**0**
2- पूंजी अन्तरण-	**261936**	**877036**	**867604**
2.1- पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को	189636	354161	259566
2.2- पूंजी अनुदान अन्य को	72300	522875	608038
2.3- जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर	0	0	0
3- योग	**5764866**	**5808460**	**6999848**

सरकार

-3

-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता **(लाख रुपयों में)**

प्राप्तियां	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
5	6	7	8
4- सकल बचत-	**3154077**	**2773883**	**5067605**
4.1- सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत	3154077	2773883	5067605
4.2- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	0	0	0
4.3- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ	0	0	0
5- पूंजी अन्तरण-	**441895**	**1398013**	**1377444**
5.1- सम्पदा शुल्क	0	0	0
5.2- भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	441895	1398013	1377444
6- वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन-देन और अन्तरणों में शेष	**2168894**	**1636564**	**554799**
7- योग	**5764866**	**5808460**	**6999848**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- निवेश	**1208662**	**836409**	**1346907**
1.1- राजकीय उपक्रमों में	1208662	836409	1346907
1.2- अन्य उपक्रमों में	0	0	0
2- ऋण एवं अग्रिम-	**674109**	**252923**	**207390**
2.1- पूंजी निर्माण हेतु	**422085**	**72335**	**73464**
(क) सहकारिता को	0	0	0
(ख) स्थानीय निकायों को	33016	30000	30000
(ग) राज्य विद्युत परिषद को	370032	0	0
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को	9812	30079	31250
(ड) अन्य को	9225	12256	12214
2.2- चालू खपत हेतु-	**252024**	**180588**	**133926**
(क) सहकारिता को	50112	94602	87126
(ख) स्थानीय निकायों को	0	0	0
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को	5193	20000	20000
(घ) अन्य को	196719	65986	26800
3- योग	**1882771**	**1089332**	**1554297**
ख- आय-			
4- ऋणों की वसूलियां	25879	28419	516509
5- शेष-वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि	1856892	1060913	1037788
6- योग	**1882771**	**1089332**	**1554297**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- सार्वजिनक ऋणों की वापसी-	**2030267**	**2191432**	**3054674**
1.1- स्थायी ऋण	414558	442272	1269333
1.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	143967	134671	144667
1.3- अन्य ऋण	1471742	1614489	1640674
2- शेष-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि	4038654	2643951	1654081
3- योग	**6068921**	**4835383**	**4708755**
ख- आय-			
4- सार्वजनिक ऋण	**6768507**	**5485272**	**6711500**
4.1- स्थायी ऋण	4105000	4164646	4960300
4.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	103108	120000	150000
4.3- अन्य ऋण	1690894	200626	601200
4.4- अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	869505	1000000	1000000
5- अनिधिबद्व ऋण (शुद्ध)	**161910**	**222925**	**275660**
6- अर्न्तराज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	**-195**	**0**	**0**
7- अन्य- ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध)	**-861301**	**-872814**	**-2278405**
8- योग	**6068921**	**4835383**	**4708755**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद, लेखा-3)	2168894	1636564	554799
2- वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-4)	1856892	1060913	1037788
3- रोकड़ बाकी में वृद्धि	12868	-53526	61494
4- योग	**4038654**	**2643951**	**1654081**
ख- आय-			
5- वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-5)	4038654	2643951	1654081
6- रोकड़ बाकी में कमी	0	0	0
7- योग	**4038654**	**2643951**	**1654081**

0 0 0

अध्याय-3

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणी) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिये गये योगों से नहीं मिलते है। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 2018-2019 के लिये राजस्व लेखा की प्राप्तियां 348619.37 करोड़ रुपये रखी गयी है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा-1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिये चालू राजस्व 328201.50 करोड़ रुपये निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 2018-2019 के लिये राजस्व लेखा से वाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 74243.61 करोड़ रुपये हैं, जबकि यही धनराशि इसी वर्गीकरण के लेखा-3 में 69998.48 करोड़ रुपये है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा बचत आय-व्ययक में दिखाये गये अतिरेक एवं बचतों से भिन्न है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 27099.10 करोड़ रुपये का बचत इंगित करता है, जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 50676.05 करोड़ रुपये का बचत प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणाम स्वरुप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुये यह आवश्यक हैं कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाय। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिये गये राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

.....

सारणी- 3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
चालू लेखा- राजस्व-			
1-राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है	**25687515**	**30502887**	**34861937**
2- घटाइये-	**2338512**	**1925607**	**2041777**
(1) पूंजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क	0	0	0
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	9721	9534	6034
(3) वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनकों व्यय में से घटा दिया गया	1634534	298366	356177
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूंजी लेखा में अन्तरित पूंजी प्रकृति के अनुदान	441895	1398013	1377444
(5) निधियों से प्राप्तियां	0	0	0
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज	59855	7732	10320
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय	108416	138888	218507
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां	52734	65912	65913
(9) पेंशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	31357	7162	7382
3- जोड़िये-	**-5**	**-9**	**-10**
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रुप में दिखाई गई	-5	-9	-10
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ	0	0	0
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	0	0
4- कुल समायोजन	**-2338517**	**-1925616**	**-2041787**
5- आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	**23348998**	**28577271**	**32820150**

सारणी- 3.2

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	
1	2	3	4	
चालू लेखा- व्यय-				
1- वित्तीय विवरणों में दिखाये गये राजस्व सम्बंधी व्यय	**23659226**	**28651357**	**32152027**	
2- घटाइये-	**3464300**	**2847960**	**4399472**	
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति	1634534	298366	356177	
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिये विनियोग	1077235	1223222	2640395	
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना	52734	65912	65913	
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर ब्याज	59855	7732	10320	
(5) राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय	257351	934968	921112	**
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय	108416	138888	218507	
(7) पूंजी लेखा में लेखा पालन सम्बंधी अन्तरण	5891	6543	7316	
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्)	236927	165167	172350	
(9) पेशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	31357	7162	7382	
3- जोड़िये-	**-5**	**-9**	**-10**	
(1) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0	
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रुप में दिखाई गई	-5	-9	-10	
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	0	0	
4- कुल समायोजन	**-3464305**	**-2847969**	**-4399482**	
5- आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा-1, मद 1+2)	**20194921**	**25803388**	**27752545**	

सारणी- 3.3

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
पूंजी लेखा- व्यय-			
1- वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	**6978912**	**5734392**	**7424361**
2- घटाइये-	**1477288**	**867443**	**1352941**
(1) वित्तीय निवेश	1208662	836409	1346907
(2) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	258905	21500	0
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	0	0	0
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि को घटाया जाना	9721	9534	6034
3- जोड़िये-	**263242**	**941511**	**928428**
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय	257351	934968	921112
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	5891	6543	7316
(3) वसूलियों के लिये बजट में व्यय को पूरा करना	0	0	0
(4) निधियों से अन्तरण	0	0	0
(5) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	0	0
4- कुल समायोजन	**-1214046**	**74068**	**-424513**
5- आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूंजीगत व्यय (लेखा-3, मद-3)	**5764866**	**5808460**	**6999848**

अध्याय-4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1- गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षो का पता चलता है उनमें कुछ निम्नलिखित से सम्बंधित है:-

(क)- राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय;

(ख)- आय-व्ययक सम्बंधी साधनों में से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण;

(ग)- राज्य सरकार की बचत;

(घ)-राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर;

(ङ)- राज्य सरकार द्वारा आय सृजन।

(क) (1)- कुल व्यय-

4.1.1- वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्यय को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 357901.81 करोड़ रुपये है। यह व्यय 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमानों से 31174.20 करोड़ रुपये तथा 2016-2017 के वास्तविक खर्च से 79735.02 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.1 (लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- अन्तिम परिव्यय	12225931	14848915	17817287
(क)- राजकीय खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	6723001	9917491	11685043
(ख)- सकल पूंजी निर्माण (देखिये, लेखा-3, मद-1)	5502930	4931424	6132244
2- राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां	13733856	16762933	16935106
(क)- चालू अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-2)	13471920	15885897	16067502
(ख)- पूंजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मद-2)	261936	877036	867604
3- राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध)(देखिये, लेखा-4, मद-5)	1856892	1060913	1037788
4- कुल व्यय (1+2+3)	**27816679**	**32672761**	**35790181**

(क) (2) अन्तिम परिव्यय-

4.1.2- वर्ष 2018-2019 के लिये आय-व्ययक में 357901.81 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 178172.87 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 49.8 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है। 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 2016-2017 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमश: 148489.15 करोड़ रुपये एवं 122259.31 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय अर्थात् 326727.61 करोड़ रुपये एवं 278166.79 करोड़ रुपये का क्रमश: 45.4 एवं 43.9 प्रतिशत है। यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिये राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते है। वर्ष 2018-2019 में कुल व्यय का शेष भाग 179728.94 करोड़ रुपये या 50.2 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रुप में शेष अर्थ-व्यवस्था को प्रदान करने के लिये अनुमानित हैं जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूरित करने के लिये हैं। कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 2017-2018 (पुनरीक्षित अनुमान) और 2016-2017 (वास्तविक) के लिये क्रमश: 178238.46 करोड़ रुपये तथा 155907.48 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बंधी प्रतिशत क्रमश: 54.6 एवं 56.1 है।

(ख) (1)- सकल पूंजी निर्माण-

4.1.3- वर्ष 2018-2019 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 61322.44 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो अन्तिम परिव्यय 178172.87 करोड़ रुपये का 34.4 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमानों से 12008.20 करोड़ रुपये अधिक एवं 2016-2017 के वास्तविक व्यय से 21593.84 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) (2)- शुद्व पूंजी निर्माण-

4.1.4-वर्ष 2018-2019 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 61322.44 करोड़ रुपये होने का प्राविधान हैं। वर्ष 2017-2018 पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 49314.24 करोड़ रुपये तथा 2016-2017 के वास्तविक व्यय पर आधारित 39729.30 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.2 (लाख रुपयों में)

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1-भवन तथा अन्य निर्माण कार्य {देखिये, लेखा-3, मद-1.1 क(1)+ख (1)तथा 1.4 क (1)+ख(1)}	3518474	4726325	5929475
2- मशीन और उपकरण {देखिये, लेखा-3, मद-1.2 (1) व 1.5 (1)}	157561	205089	202768
3- तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिये लेखा-3, मद-1.3 व 1.6)	296895	10	1
4- शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	**3972930**	**4931424**	**6132244**

(ख) (3)- शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता-

4.1.5- राज्य सरकार द्वारा किये गये शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-2019 के लिये 22879.75 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह सहायता 2017-2018 के लिये 17857.80 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान)तथा 2016-2017 के लिये 18926.83 करोड़ रुपये (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे दिया गया है:-

सारणी-4.3

(लाख रुपयों में)

सहायता की मदें	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- पूंजी निर्माण के लिये अनुदान (देखिये, लेखा-3 , मद-2.1 व 2.2)	261936	877036	867604
2- पूंजी निर्माण के लिये ऋण (देखिये लेखा-4, मद-2.1)	422085	72335	73464
3- निवेश (इन्वेस्टमेंट) (देखिये, लेखा-4, मद-1)	1208662	836409	1346907
4- शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)	**1892683**	**1785780**	**2287975**

(ख) (4)- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण-

4.1.6- पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से पूंजी निर्माण के लिये वर्ष 2018-2019 में कुल मिलाकर 84202.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 2017-2018 के लिये 67172.04 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2016-2017 के लिये 58656.13 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 357901.81 करोड़ रुपये, 326727.61 करोड़ रुपये और 278166.79 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमशः 23.5 प्रतिशत, 20.6 प्रतिशत तथा 21.1 प्रतिशत है। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गयी है:-

सारणी-4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये आय-व्ययक सम्बंधी संसाधन	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारणी-4.2, मद-4)	3972930	4931424	6132244
2- शेष अर्थ व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता (सारणी-4.3, मद-4)	1892683	1785780	2287975
3-आय-व्ययक सम्बंधी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1 + 2)	**5865613**	**6717204**	**8420219**

(ग) राज्य सरकार की बचत:-

4.1.7- राज्य सरकार द्वारा 2018-2019 में राजकीय शुद्ध लाभ 50676.05 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध लाभ 27738.83 करोड़ रुपये तथा 2016-2017 में वास्तविक शुद्ध लाभ 31540.77 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी-4.5

(लाख रुपयों में)

बचत	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- चालू खाते की बचत (देखिये, लेखा-3, मद-4.1)	3154077	2773883	5067605
2- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था (देखिये, लेखा-3, मद-4.2)	0	0	0
3- ग्रहीत लाभ (देखिये लेखा-3, मद-4.3)	0	0	0
4- राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3)	3154077	2773883	5067605
5- नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिये, लेखा-3)	0	0	0
6- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5)	**3154077**	**2773883**	**5067605**

(घ) चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स):-

4.1.8-वर्ष 2018-2019 के लिये चालू प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 328201.50 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2017-2018 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 285772.71 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2016-2017 की वास्तविक प्राप्तियां 233489.98 करोड़ रुपये थी। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है:-

सारणी-4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1-करों से प्राप्तियां (देखिये, लेखा-1, मद-5)	19500884	21494189	25427143
2- उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिये, लेखा-1, मद-6)	112281	88728	109238
3- परिवारों से अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-7)	9703	5460	5460
4- राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिये, लेखा-1, मद-8)	3726130	6988894	7278309
5- चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	**23348998**	**28577271**	**32820150**

(ड.) चालू खर्च (करेन्ट आउट गोंइग)-

4.1.9-ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा वर्ष 2018-2019 के लिये आय- व्ययक में कुल 277525.45 करोड़ रुपये के चालू खर्चो की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 2017-2018 के लिये 258033.88 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2016-2017 के

लिये 201949.21 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) की थी जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है:-

सारणी-4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	6723001	9917491	11685043
2- अन्तरण अदायगियां (देखिये, लेखा-1, मद-2)	13471920	15885897	16067502
3- चालू खर्च (1+2)	**20194921**	**25803388**	**27752545**

(च) (1)- आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)-

4.1.10- शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करता हैं, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.8

(लाख रुपयों में)

शुद्ध निवेश एवं बचत	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- राज्य सरकार के शुद्व पूंजी निर्माण में निवेश (सारणी-4.2, मद-4)	3972930	4931424	6132244
2- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी-4.5, मद-6)	3154077	2773883	5067605
3- राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	**818853**	**2157541**	**1064639**

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिये जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2)- राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकतायें-

4.1.11- उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देन से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। वर्ष 2018-2019 के लिये यह घाटा 15925.87 करोड़ रुपये है जो 2017-2018 के पुनरीक्षित अनुमानों से 11048.90 करोड़ रुपये कम तथा 2016-2017 के वास्तविक घाटे से 24331.99 करोड़ रुपये कम है, जैसा कि निम्न सारणी से प्रकट है-

सारणी–4.9

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016–2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017–2018	आय–व्ययक अनुमान 2018–2019
1	2	3	4
1–राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिये, सारणी–4.8, मद–3)	8188853	2157541	1064639
2–शुद्ध पूंजी अन्तरण (देखिये, लेखा–3, मद–5 (–) मद–2)	179959	520977	509840
3–वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन–देन और अन्तरणों पर घाटा (1–2) (देखिये, लेखा–3,मद–6)	2168894	1636564	554799
4–वित्तीय परिसम्पत्ति (एसट्स)में शुद्ध वृद्धि (देखिये, लेखा–4, मद–5)	1856892	1060913	1037788
5– घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	**4025786**	**2697477**	**1592587**

(छ) (1)–वित्त व्यवस्था के स्त्रोत –

4.1.12– उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी सारणी में दिखाई गई है–

सारणी–4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय–व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1– शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)	4038654	2643951	1654081
1.1– स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमानेंट डेट)	3690442	3722374	3690967
1.2– केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (शुद्ध)	-40859	-14671	5333
1.3– अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफण्डेड डेट)	161910	222925	275660
1.4– अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स)	1088657	-413863	-39474
1.5– अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स,डिपाजिट्स, रेमिटेन्सेज)	-861301	-872814	-2278405
1.6– अन्तर्ज्जीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	-195	0	0
2– घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिपाजिट्स फाइनेन्सिग)	-12868	53526	-61494
2.1– अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इनकीज इनफलोटिंग डेट)	0	0	0
2.2– रोकड़ बाकी से निकास (विड्ड्राल)	-12868	53526	-61494
3– योग (1+2) (इखिये सारणी–4.9, मद–5)	4025786	2697477	1592587

मद–2 के अर्न्तगत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देन का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रुप से प्रकट करती है।

(छ) (2)–वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ–

4.1.13– वर्ष 2018–2019 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 0.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया हैं। 2017–2018 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 0.00 करोड़ रुपये आंका गया है। 2016–2017 में वास्तविक लाभ 0.00 करोड़ रुपये था ।

इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप का कार्य-चलित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है:-

सारणी-4.11

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- कुल प्राप्तियां (देखिये, लेखा-2, मद-12)	779424	1080818	1207693
2- कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेंज) (देखिये, लेखा-2, मद-1 से 6)	779424	1080818	1207693
3- शुद्ध लाभ (1-2)	**0**	**0**	**0**

(ज) राज्य आय में अंशदान:-

4.1.14-राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बंधी कार्य वाहियों से 2018-2019 में कुल 87663.32 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 2017-2018 में 73573.43 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2016-2017 के लिये 59550.96 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आय का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.12

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन	3634537	4483480	5234446
2- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन	**590433**	**822450.5**	**953269**
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यो की मजदूरी सम्बंधी 50 प्रतिशत भाग सहित)	537699	756538.5	887356
(ब) ब्याज	52734	65912	65913
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरक शामिल है)	0	0	0
3- निर्माण कार्यो पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बंधी भाग [लेखा-3 की मद-1.1 क (1) व 1.4 क (1)का एक- तिहाई भाग तथा 1.1(ख) (1) व 1.4 (ख) (1) का आधा भाग]	1730126	2051413	2578617
4- योग (1+2+3)	**5955096**	**7357343**	**8766332**

अध्याय-5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा-1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन का चालू खाता-

5.1- इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाये गये है। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रुप में दर्शाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को व्यक्त करता हैं। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रांस्फर पेमेन्ट) सम्मिलित है। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय "डिसपोजिविल इनकम" को अप्रत्यक्ष रुप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिये विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों, अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाले सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बंधी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूंजी निर्माण के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)- **"मजदूरी और वेतन"** में कार्मिको के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित है। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बंधी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा और अन्य भत्ते एकमुश्त दिये गये है वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)- **"पेंशन"** के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेंशन तथा पेंशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2- **"वस्तुओं और सेवाओं"** में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे- लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बंधी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बंधी व्यय, वर्दी सम्बंधी व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बंधी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बंधी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकायें, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बंधी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचलन व्यय सम्बंधी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बंधी व्यय, प्रासंगिक व्यय, शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बंधी व्यय मानकर इस मद में शामिल कर लिया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया "वस्तुओं और सेवाओं" का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2- **"अन्तरण अदायगियां"**-आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं-

1-खपत सम्बंधी व्यय, 2-पूंजीगत व्यय, 3-शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरुप लेते है। इस लिये आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत

चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया है) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है- ब्याज का भ्ाुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रुप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते है। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु वहां पर भुगतान घटाये नहीं गये है।

मद 2.1- "ब्याज" सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा-2 मद-5 में दिखलाये गये वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते है। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही है।

मद 2.2- "अनुदान" को चार वर्गो में विभक्त किया गया हैं यथा- (1)स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को "अन्य संस्थाओं" के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान आते है।

मद 2.3- "राज सहायता"-चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग, सरकार से प्राप्त करते है उनका रुप या तो उत्पादको को सीधे भुगतान के रुप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रुप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाये रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये हों-"राज सहायता" के अन्तर्गत आते है1 विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रुप में अन्तरित किया जाता है। वानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4- "अन्य चालू अन्तरण"- इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे- विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तियां, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को नि:शुल्क सहायता, पुरस्कार आदि आते हैं।

मद 3- "चालू खाते की बचत"- चालू खाते के अर्न्तगत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5-"कर राजस्व"- को दो भागों- (1)"प्रत्यक्ष कर" व (2)"अप्रत्यक्ष कर" में वर्गीकृत किया गया। "प्रत्यक्ष कर" में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग कृषि सम्पत्ति पर कर, भू राजस्व तथा नगरीय भूमिकर सम्मिलित है। "अप्रत्यक्ष कर" में उत्पादकों पर उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते है, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न है- आयात, निर्यात् व उत्पादन शुल्क, बिक्री कर,वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0), मनोरंजन कर, बाजीकर (वेटिंग टैक्सेज),व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-सम्पत्ति एवं भूमिकर ।

मद 6-"सम्पत्ति और उद्यमों से आय"-इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7-"परिवारों से अन्तरण" इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यत: सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता हैं, सरकारी एजेन्सी द्वारा नियन्त्रित व्यय नियन्त्रित कार्यो और उन सेवाओं हेतु जिनके लिये कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नही है, के सम्बंध में हैं। ऐसी सेवायें अधिकांश रुप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिये पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने और दण्ड आदि हैं । जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाये गये है।

मद 8-"राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां"-इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संगत होती है, सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत की आर्थिक रुप से घोषित करने हेतु उपयोग किये जाते हैं, उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा-2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2- यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरण को प्रकट करता हैं। प्रतिष्ठान मुख्यत: विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुये है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अर्न्तवर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईधन सम्बंधी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किये गये अन्तिम परिव्यय से बिल्कुल भिन्न है। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इनमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिससे लेखा-1 प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है:-

(1) वन,
(2) सिंचाई,
(3) मुद्रणालय,
(4) उद्योग-
  (क)- सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाला, लखनऊ।
  (ख)- अन्य
(5) दुग्ध सम्पूर्ति

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिये व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबन्ध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन-देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नही होता। आय-व्ययक के लेखा पालन का रुप वित्तीय

वर्ष की अवधि में मुख्यत: वास्तविक रोकड़ प्राप्तियां तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नही डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नही रहता है। इस प्रकार रोकड़ाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को समस्त चित्रण करने में पूर्णत: समर्थ नही है। इसलिये इसका वास्तविक परावर्तन आय-व्ययक में तथा इसके फलस्वरुप आर्थिक वर्गीकरण में नही हो पाता।

लेखा-3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3- यह लेखा शेष अर्थ-व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पत्तियों (फिजिकल ऐसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बंधित है। पूंजी निर्माण पर सम्पूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पाद पर एकभार है जिसको वहन करने के लिये सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है इनमें सन्तुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद-1- "सकल पूंजी निर्माण"-सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है-

(1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य

(2) मशीन एवं उपकरण

प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गो में वर्गीकृत किया गया-

(क) नया परिव्यय

(ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)- इन मदों में भवन निर्माण कार्यो, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भवनों के मूल निर्माण-कार्य दिखलाये गये है।

मद 1.1 (ख) व 1.4 (ख)- इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं दूर संचार, विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, बांध एवं जल निकास, जल पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण तथा अन्य निर्माण कार्यो पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंशमान कर तद्नुसार लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण-कार्यो के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5- "मशीनें और उपकरणों" मशीनों और उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (आपरेटस) औजार एवं संयत्र (टूल्स एवं प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6-"तालिकागत समान में वृद्वि (इनक्रीज इन इन्वेन्ट्रीज)"- (1) निर्माण सम्बंधी सामान और (2) अन्न उवर्रको इत्यादि भण्डार को शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद-2- पूंजी अन्तरण में स्थानीय निकायों तथा औरों की पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पुन: ग्रहीत भूमि (रिज्यूम्ड लैण्ड्स) के बदले में पेंशन, वक्फी तथा न्यासी (ट्रस्ट) की देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम् जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद-4 व 5-"पूंजी निर्माण" हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा 1 व 2 से अग्रनीत चालू खातेदार पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस सेवा में शामिल किया गया है।

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4- यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन-देन (अर्थात् शेयरों में लगाई पूंजी) और शेष अर्थ-व्यवस्था के लिये स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम घनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नत के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा-3 के घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ वाकी में समायोजन द्वारा होती है।

मद-1- "निवेशों में" राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगााई गई धनराशि आती है।

मद-2.1- "पूंजी निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम" से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद-2.2- "अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों" में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित है।

लेखा-5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5- यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है। लेखा-3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढ़े गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़वाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है।

इन घाटो की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निवेशों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ-व्यवस्था से खींच कर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रुप में अल्प कालिक ऋण (फ्लोंटिंग डेट्स) अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स) ऋणों और विप्रेषित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रुप में दिखाया जाता है।

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6- यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देन का उनके रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा-3, 4 व 5 के सम्बंध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा-3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी वास्तविक लेन-देन के सम्बंध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा-4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बंध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते है।

भाग-2

कार्यात्मक वर्गीकरण

अध्याय-6

(।) आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

6.1- इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों का एक ही अन्त: वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है । यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन-जैसे- कृषि के लिये व्ययों को आर्थिक वर्गो अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे- पूंजी निर्माण के लिये व्यय को विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बंधी व्ययों का ऐसा अन्त: वर्गीकरण कई वर्षो की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रुप से बढ़ जाती है।

(।।) कार्यात्मक वर्गीकरण वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2- लेखा पालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे- मजदूरी और वेतन, वस्तुएं और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक आकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्यात्मक वर्गीकरण का व्यय तात्कालिक अथवा अल्पकालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बंध में जानकारी कराता है।

6.3- कार्यात्मक वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नही किये गये है क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेंट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इण्टरमीडिएट एक्सपेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किये गये व्यय का है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में सामान्यत: प्राप्तियां सम्मिलित नही है, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित है जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती है। इनके उदाहरण है- विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित है, सामान्य संहत निधि के अंश समझे जाते है और उनमें से सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था की जाती है।

6.4- आय-व्ययक में दिये गये वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुये व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गो में वर्गवद्ध किया गया है। इस प्रकार कार्यात्मक वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्ययों को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया हैं । आय-व्ययक में यह चाहे कही भी दिखाया गया हो। इस सिद्वान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बंधी कार्य-कलाप, जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग है, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय" पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय" कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये है। पुन: आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे- सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवायें, सामान्य सेवायें प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बंधी संगठन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षक के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बंधित व्ययों का सम्बंधित कार्य भार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये कार्यो पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6.5- उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदो को कार्य के आधार पर मुख्यत: निम्न नौ भागों में बांटा गया है-

(1) सामान्य सेवायें
(2) सुरक्षा
(3) शिक्षा
(4) स्वास्थ्य
(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें
(6) आवास एवं सामुदायिक सेवायें
(7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
(8) आर्थिक सेवायें
(9) अन्य सेवायें

इन सेवाओं की विषय-वस्तु का उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है।

(।।।) सारणी

6.6- सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमश: वर्ष 2015-2016(वास्तविक), 2016-2017 (पुनरीक्षित) तथा 2017-2018(आय-व्ययक) के लिये व्यय का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारणियों में व्यय की आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्यात्मक वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय परिसम्पत्ति में लगाई गई पूंजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगी भी शामिल है, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों को शुद्ध रुप में प्रकट किया जाता। क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिये गये ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इस लिये इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.7- सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमश: आर्थिक वर्गो तथा कार्यात्मक वर्गो के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमश: उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं।

6.8- आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है।

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**3714696**	**68146**	**3646550**	**0**	**5**	**937024**	**1064216**	**5647795**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**3713194**	**68128**	**3645066**	**0**	**5**	**931706**	**1064216**	**5640993**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	473931	14492	459439	0	5	7029	0	466473
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	549793	29690	520103	0	0	3424	0	523527
1.1.3- न्याय	248903	467	248436	0	0	26	0	248462
1.1.4- कारागार	79473	69	79404	0	0	0	0	79404
1.1.5- पुलिस	2007769	20409	1987360	0	0	2451	0	1989811
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	353325	3001	350324	0	0	918776	1064216	2333316
1.2- सामान्य शोध	1502	18	1484	0	0	5318	0	6802
2- सुरक्षा	**5171**	**142**	**5029**	**0**	**0**	**2865**	**0**	**7894**
3- शिक्षा	**477499**	**1406019**	**-928520**	**0**	**0**	**5274586**	**0**	**4346066**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	45505	0	45505	0	0	37818	0	83323
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	431994	1406019	-974025	0	0	5236768	0	4262743
4- स्वास्थ्य	**1477346**	**9856**	**1467490**	**0**	**0**	**62619**	**0**	**1530109**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	35092	0	35092	0	0	3	0	35095
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	1442254	9856	1432398	0	0	62616	0	1495014
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**1038973**	**4584**	**1034389**	**0**	**343**	**954692**	**0**	**1989424**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	916166	4584	911582	0	343	477134	0	1389059
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	122807	0	122807	0	0	477558	0	600365
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**261785**	**13156**	**248629**	**0**	**28009**	**40544**	**156623**	**473805**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**98392**	**4828**	**93564**	**0**	**0**	**8005**	**0**	**101569**

- 6.1

2016-2017 (वास्तविक व्यय) **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244309	**58683**	**-177**	**0**	**9060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311875**	**5959670**
244309	**58677**	**-177**	**0**	**8618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311427**	**5952420**
64616	5892	-177	0	8000	0	0	0	0	78331	544804
2033	3496	0	0	0	0	0	0	0	5529	529056
-4	7432	0	0	0	0	0	0	0	7428	255890
49147	8596	0	0	0	0	0	0	0	57743	137147
101652	31812	0	0	0	0	0	0	0	133464	2123275
26865	1449	0	0	618	0	0	0	0	28932	2362248
0	6	0	0	442	0	0	0	0	448	7250
214	**66**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**8181**
344977	**42216**	**0**	**0**	**1505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388698**	**4734764**
7493	103	0	0	0	0	0	0	0	7596	90919
337484	42113	0	0	1505	0	0	0	0	381102	4643845
47030	**20492**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**3457**	**0**	**71129**	**1601238**
0	221	0	0	0	0	0	0	0	221	35316
47030	20271	0	0	150	0	0	3457	0	70908	1565922
126077	**4100**	**0**	**0**	**496**	**150**	**0**	**0**	**0**	**130823**	**2120247**
82128	676	0	0	496	150	0	0	0	83450	1472509
43949	3424	0	0	0	0	0	0	0	47373	647738
1034232	**3722**	**0**	**189636**	**55197**	**40000**	**21584**	**110554**	**0**	**1454925**	**1928730**
103485	**817**	**0**	**0**	**0**	**-130**	**0**	**5000**	**0**	**109172**	**210741**

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**1227991**	**127803**	**1100188**	**0**	**1429065**	**932192**	**0**	**3461445**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	99125	8583	90542	0	8363	6332	0	105237
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	396243	9564	386679	0	811144	43855	0	1241678
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	53457	107359	-53902	0	10152	11847	0	-31903
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	34	203	-169	0	568653	869806	0	1438290
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	646032	1460	644572	0	0	342	0	644914
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	33100	634	32466	0	30753	10	0	63229
9- अन्य सेवायें	**55682**	**0**	**55682**	**2580978**	**0**	**154**	**0**	**2636814**
9.1- विपदा सहायता	55602	0	55602	0	0	154	0	55756
9.2- अन्य विविध कार्य	80	0	80	2580978	0	0	0	2581058
योग	**8357535**	**1634534**	**6723001**	**2580978**	**1457422**	**8212681**	**1220839**	**20194921**

- 6.1

2016-2017 (वास्तविक व्यय) **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			**पूंजी अन्तरण**			**ऋण और अग्रिम**				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3143665	**27461**	**297072**	**0**	**5838**	**1168642**	**11432**	**522082**	**0**	**5176192**	**8637637**
0	406	0	0	0	0	0	8158	0	8564	113801
594542	13685	8822	0	5838	0	0	80397	0	703284	1944962
31407	8309	0	0	0	5	0	62319	0	102040	70137
210925	0	0	0	0	1158098	0	370032	0	1739055	3177345
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306791	2820	3537	0	0	9833	11432	0	0	2334413	2979327
0	2241	284713	0	0	706	0	1176	0	288836	352065
4485	**4**	**0**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**2030267**	**2034803**	**4671617**
4485	0	0	0	47	0	0	0	0	4532	60288
0	4	0	0	0	0	0	0	2030267	2030271	4611329
5048474	**157561**	**296895**	**189636**	**72300**	**1208662**	**33016**	**641093**	**2030267**	**9677904**	**29872825**

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**4521198**	**56730**	**4464468**	**0**	**5**	**1115099**	**1157814**	**6737386**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**4519125**	**56710**	**4462415**	**0**	**5**	**1109125**	**1157814**	**6729359**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	597366	9834	587532	0	5	3631	0	591168
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	673386	10984	662402	0	0	3415	0	665817
1.1.3- न्याय	345774	1020	344754	0	0	218	0	344972
1.1.4- कारागार	92320	195	92125	0	0	0	0	92125
1.1.5- पुलिस	2379520	33022	2346498	0	0	1751	0	2348249
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	430759	1655	429104	0	0	1100110	1157814	2687028
1.2- सामान्य शोध	2073	20	2053	0	0	5974	0	8027
2- सुरक्षा	**7405**	**205**	**7200**	**0**	**0**	**3643**	**0**	**10843**
3- शिक्षा	**658918**	**48461**	**610457**	**0**	**0**	**4498258**	**0**	**5108715**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	55497	0	55497	0	0	41729	0	97226
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	603421	48461	554960	0	0	4456529	0	5011489
4- स्वास्थ्य	**1858809**	**15638**	**1843171**	**0**	**0**	**77612**	**0**	**1920783**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	46679	0	46679	0	0	104	0	46783
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	1812130	15638	1796492	0	0	77508	0	1874000
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**1226825**	**13120**	**1213705**	**0**	**845**	**1027897**	**0**	**2242447**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	1096661	13120	1083541	0	845	691157	0	1775543
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	130164	0	130164	0	0	336740	0	466904
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**334206**	**3274**	**330932**	**0**	**60513**	**59211**	**251088**	**701744**
7- संास्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**74336**	**5016**	**69320**	**0**	**0**	**9568**	**0**	**78888**

- 6.2

2017-2018 (पुनरीक्षित व्यय) **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			**पूंजी अन्तरण**			**ऋण और अग्रिम**				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155845	**79173**	**0**	**0**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239018**	**6976404**
155845	**79149**	**0**	**0**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238994**	**6968353**
63656	16055	0	0	4000	0	0	0	0	83711	674879
1161	10374	0	0	0	0	0	0	0	11535	677352
-1	6353	0	0	0	0	0	0	0	6352	351324
11738	6266	0	0	0	0	0	0	0	18004	110129
82979	38790	0	0	0	0	0	0	0	121769	2470018
-3688	1311	0	0	0	0	0	0	0	-2377	2684651
0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	8051
214	**76**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297**	**11140**
304481	**24327**	**0**	**0**	**1160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329968**	**5438683**
42053	236	0	0	0	0	0	0	0	42289	139515
262428	24091	0	0	1160	0	0	0	0	287679	5299168
68117	**47131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10100**	**0**	**125348**	**2046131**
0	362	0	0	0	0	0	0	0	362	47145
68117	46769	0	0	0	0	0	10100	0	124986	1998986
91184	**4753**	**0**	**0**	**0**	**1060**	**0**	**0**	**0**	**96997**	**2339444**
47221	1652	0	0	0	1060	0	0	0	49933	1825476
43963	3101	0	0	0	0	0	0	0	47064	513968
1157237	**11162**	**0**	**354161**	**505175**	**13795**	**23700**	**58149**	**0**	**2123379**	**2825123**
282799	**1051**	**0**	**0**	**201**	**2500**	**0**	**0**	**0**	**286551**	**365439**

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**1533745**	**155922**	**1377823**	**0**	**1896036**	**2773830**	**0**	**6047689**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	159698	8281	151417	0	47087	22894	0	221398
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	516280	13090	503190	0	1185557	2556200	0	4244947
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	70030	132490	-62460	0	119111	25888	0	82539
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	25	51	-26	0	526381	149957	0	676312
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	744037	501	743536	0	0	18880	0	762416
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	43675	1509	42166	0	17900	11	0	60077
9- अन्य सेवायें	**175**	**0**	**175**	**2953890**	**0**	**588**	**0**	**2954653**
9.1- विपदा सहायता	90	0	90	0	0	588	0	678
9.2- अन्य विविध कार्य	85	0	85	2953890	0	0	0	2953975
योग	**10215617**	**298366**	**9917251**	**2953890**	**1957399**	**9565706**	**1408902**	**25803148**

- 6.2

2017-2018 (पुनरीक्षित व्यय) **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			**पूंजी अन्तरण**			**ऋण और अग्रिम**				
भवन एवं अन्य निर्माण- कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2660480	**35910**	**10**	**0**	**11832**	**819054**	**6300**	**154674**	**0**	**3688260**	**9735949**
0	786	0	0	0	0	0	10040	0	10826	232224
463732	18842	10	0	10832	0	0	19481	0	512897	4757844
21427	8699	0	0	1000	0	0	123681	0	154807	237346
408345	0	0	0	0	808454	0	0	0	1216799	1893111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1766976	6229	0	0	0	10000	6300	0	0	1789505	2551921
0	1354	0	0	0	600	0	1472	0	3426	63503
5968	**1506**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**2191432**	**2199406**	**5154059**
5968	1500	0	0	500	0	0	0	0	7968	8646
0	6	0	0	0	0	0	0	2191432	2191438	5145413
4726325	**205089**	**10**	**354161**	**522875**	**836409**	**30000**	**222923**	**2191432**	**9089224**	**34892372**

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**5358376**	**53104**	**5305272**	**0**	**5**	**1200235**	**1218752**	**7724264**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**5356032**	**53084**	**5302948**	**0**	**5**	**1193945**	**1218752**	**7715650**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	678614	10036	668578	0	5	3950	0	672533
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	809090	10312	798778	0	0	4376	0	803154
1.1.3- न्याय	419793	1020	418773	0	0	248	0	419021
1.1.4- कारागार	106482	195	106287	0	0	0	0	106287
1.1.5- पुलिस	2832260	29469	2802791	0	0	1865	0	2804656
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	509793	2052	507741	0	0	1183506	1218752	2909999
1.2- सामान्य शोध	2344	20	2324	0	0	6290	0	8614
2- सुरक्षा	**8944**	**205**	**8739**	**0**	**0**	2895	**0**	**11634**
3- शिक्षा	**769990**	**47260**	**722730**	**0**	**0**	**5533987**	**0**	**6256717**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	66670	0	66670	0	0	48387	0	115057
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	703320	47260	656060	0	0	5485600	0	6141660
4- स्वास्थ्य	**2230441**	**16211**	**2214230**	**0**	**0**	**100379**	**0**	**2314609**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	54460	0	54460	0	0	97	0	54557
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	2175981	16211	2159770	0	0	100282	0	2260052
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**1417201**	**5878**	**1411323**	**0**	**5399**	**1076963**	**0**	**2493685**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	1272093	5878	1266215	0	5399	714605	0	1986219
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	145108	0	145108	0	0	362358	0	507466
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**335091**	**3374**	**331717**	**0**	**58512**	**106048**	**242216**	**738493**
7- संस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**92040**	**5016**	**87024**	**0**	**0**	**12846**	**0**	**99870**

– 6.3

2018–2019 (आय–व्ययक अनुमानित व्यय) (लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270710	**67212**	**0**	**0**	**7500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345422**	**8069686**
270710	**67190**	**0**	**0**	**7500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345400**	**8061050**
57862	12299	0	0	7500	0	0	0	0	77661	750194
2900	6396	0	0	0	0	0	0	0	9296	812450
0	6535	0	0	0	0	0	0	0	6535	425556
27284	6790	0	0	0	0	0	0	0	34074	140361
183128	34249	0	0	0	0	0	0	0	217377	3022033
-464	921	0	0	0	0	0	0	0	457	2910456
0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	8636
580	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681**	**12315**
356549	**31251**	**0**	**0**	**1060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388860**	**6645577**
61341	253	0	0	0	0	0	0	0	61594	176651
295208	30998	0	0	1060	0	0	0	0	327266	6468926
52573	**48531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10100**	**0**	**111204**	**2425813**
0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	54920
52573	48168	0	0	0	0	0	10100	0	110841	2370893
162120	**3818**	**0**	**0**	**10000**	**1060**	**0**	**0**	**0**	**176998**	**2670683**
59231	1355	0	0	2000	1060	0	0	0	63646	2049865
102889	2463	0	0	8000	0	0	0	0	113352	620818
1743532	**13680**	**0**	**259566**	**575939**	**55000**	**23700**	**32094**	**0**	**2703511**	**3442004**
127775	**999**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129274**	**229144**

सारणी

आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**1825136**	**225129**	**1600007**	**0**	**2057393**	**1283814**	**0**	**4941214**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	177383	8281	169102	0	47087	25507	0	241696
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	611951	12034	599917	0	1275904	468780	0	2344601
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	172543	202691	-30148	0	83732	79670	0	133254
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	1025	53	972	0	620142	635642	0	1256756
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	810483	561	809922	0	0	71109	0	881031
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	51751	1509	50242	0	30528	3106	0	83876
9- अन्य सेवायें	**4000**	**0**	**4000**	**3167142**	**0**	**916**	**0**	**3172058**
9.1- विपदा सहायता	3901	0	3901	0	0	916	0	4817
9.2- अन्य विविध कार्य	99	0	99	3167142	0	0	0	3167241
योग	**12041219**	**356177**	**11685042**	**3167142**	**2121309**	**9318083**	**1460968**	**27752544**

- 6.3

2018-2019 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय) **(लाख रुपयों में)**

पूंजीगत व्यय

कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3212669	**36164**	**1**	**0**	**12539**	**1290847**	**6300**	**135196**	**0**	**4693716**	**9634930**
0	632	0	0	0	0	0	10040	0	10672	252368
854319	21543	0	0	12497	0	0	6300	0	894659	3239260
16644	8362	0	0	42	0	0	117950	0	142998	276252
183800	200	0	0	0	1281186	0	0	0	1465186	2721942
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2157906	4838	0	0	0	5000	6300	0	0	2174044	3055075
0	589	1	0	0	4661	0	906	0	6157	90033
2968	**1012**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**3054674**	**3059154**	**6231212**
2968	1007	0	0	500	0	0	0	0	4475	9292
0	5	0	0	0	0	0	0	3054674	3054679	6221920
5929476	**202768**	**1**	**259566**	**608038**	**1346907**	**30000**	**177390**	**3054674**	**11608820**	**39361364**

सारणी- 6.4

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**20194921**	**25803148**	**27752544**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	6723001	9917251	11685042
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	2580978	2953890	3167142
1.3- राज सहायतायें	1457422	1957399	2121309
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	8212681	9565706	9318083
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1220839	1408902	1460968
2- पूंजीगत व्यय	**9677904**	**9089224**	**11608820**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**5206035**	**4931414**	**6132244**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	5048474	4726325	5929476
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	157561	205089	202768
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**296895**	**10**	**1**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**261936**	**877036**	**867604**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	189636	354161	259566
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	72300	522875	608038
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**1208662**	**836409**	**1346907**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**674109**	**252923**	**207390**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	33016	30000	30000
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	641093	222923	177390
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**2030267**	**2191432**	**3054674**
योग	**29872825**	**34892372**	**39361364**

राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय

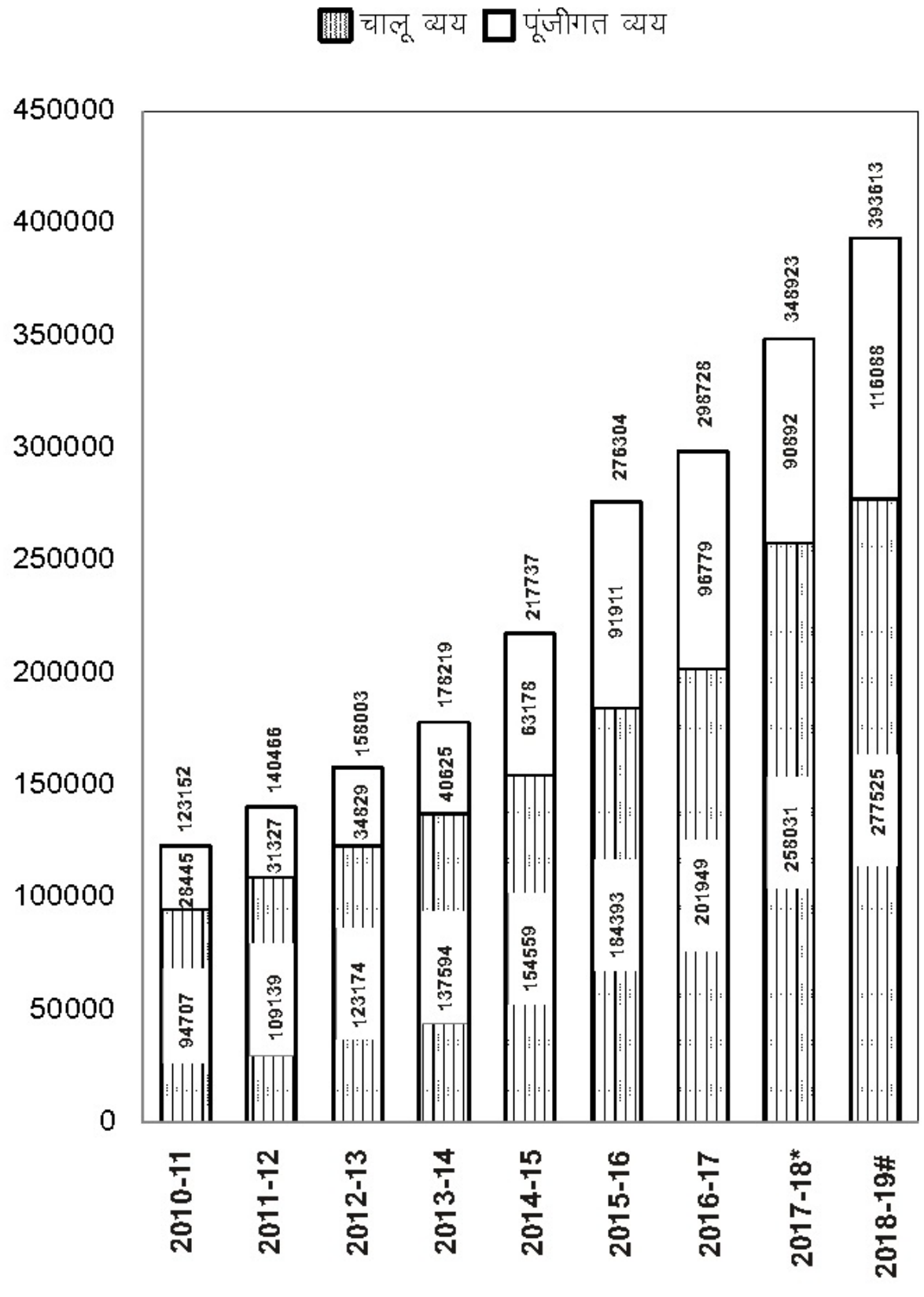

* पुनरीक्षित अनुमान

आय–व्यय का अनुमान

राज्य सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

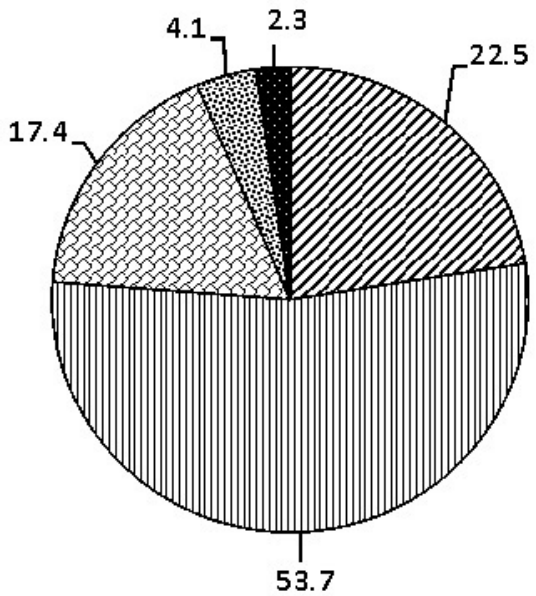

वास्तविक
2016-17

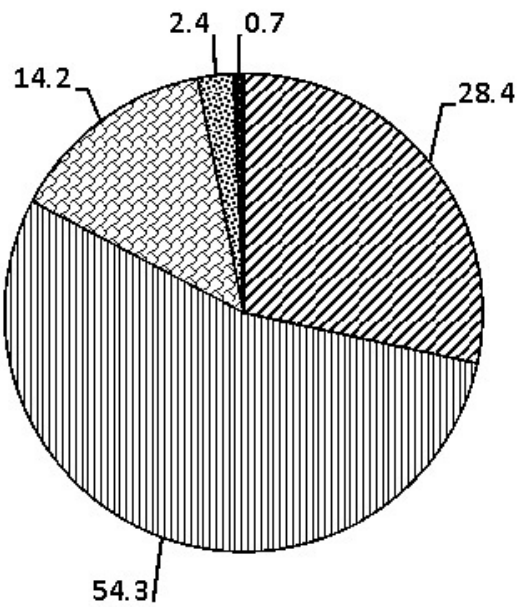

पुनरीक्षित अनुमान
2017-18

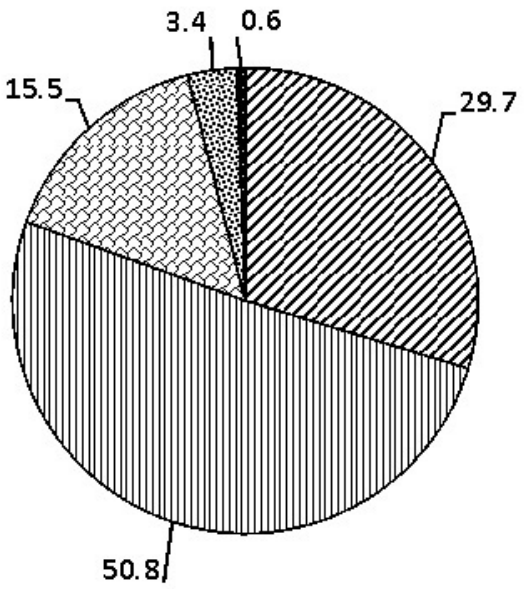

आय–व्ययक अनुमान
2018-19

सारणी- 6.5

आर्थिक वर्गीकरण- प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**67.6**	**73.9**	**70.5**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	22.5	28.4	29.7
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	8.6	8.5	8.0
1.3- राज सहायतायें	4.9	5.6	5.4
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	27.5	27.4	23.7
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	4.1	4.0	3.7
2- पूंजीगत व्यय	**32.4**	**26.1**	**29.5**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**17.4**	**14.2**	**15.5**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	16.9	13.6	15.0
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	0.5	0.6	0.5
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**1.0**	**0.0**	**0.0**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**0.8**	**2.5**	**2.2**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	0.6	1.0	0.7
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	0.2	1.5	1.5
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**4.1**	**2.4**	**3.4**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**2.3**	**0.7**	**0.6**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	0.1	0.1	0.1
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	2.2	0.6	0.5
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**6.8**	**6.3**	**7.8**
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.6

आय-व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- सामान्य सेवायें	**5959670**	**6976404**	**8069686**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**5952420**	**6968353**	**8061050**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	544804	674879	750194
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	529056	677352	812450
1.1.3- न्याय	255890	351324	425556
1.1.4- कारागार	137147	110129	140361
1.1.5- पुलिस	2123275	2470018	3022033
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	2362248	2684651	2910456
1.2- सामान्य शोध	7250	8051	8636
2- सुरक्षा	**8181**	**11140**	**12315**
3- शिक्षा	**4734764**	**5438683**	**6645577**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	90919	139515	176651
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	4643845	5299168	6468926
4- स्वास्थ्य	**1601238**	**2046131**	**2425813**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	35316	47145	54920
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	1565922	1998986	2370893
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**2120247**	**2339444**	**2670683**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	1472509	1825476	2049865
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	647738	513968	620818
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**1928730**	**2825123**	**3442004**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**210741**	**365439**	**229144**
8- आर्थिक सेवायें	**8637637**	**9735949**	**9634930**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	113801	232224	252368
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	1944962	4757844	3239260
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	70137	237346	276252
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	3177345	1893111	2721942
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	2979327	2551921	3055075
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	352065	63503	90033
9- अन्य सेवायें	**4671617**	**5154059**	**6231212**
9.1- विपदा सहायता	60288	8646	9292
9.2- अन्य विविध कार्य	4611329	5145413	6221920
योग	**29872825**	**34892372**	**39361364**

राज्य सरकार के आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

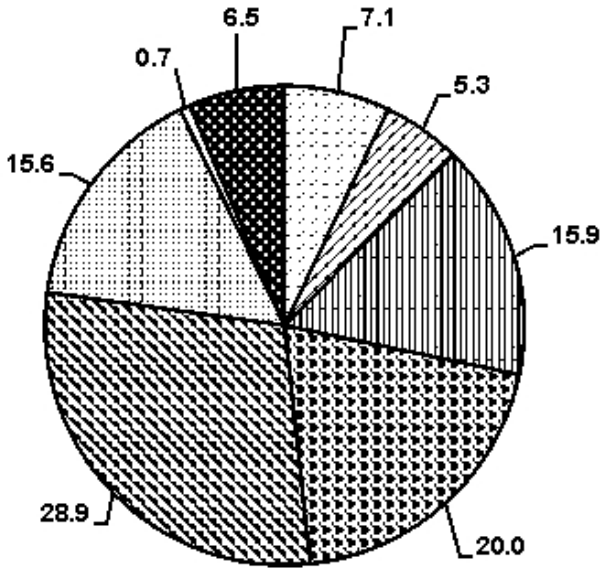

वास्तविक
2016-17

- सुरक्षा ,सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- सामान्य सेवायें
- आर्थिक सेवायें
- अन्य सेवायें
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
- आवास एवं सामुदायिक सेवायें

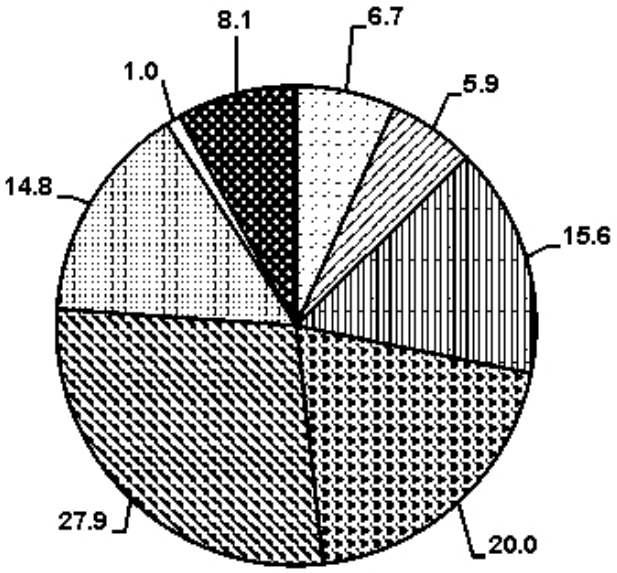

पुनरीक्षित अनुमान
2017-18

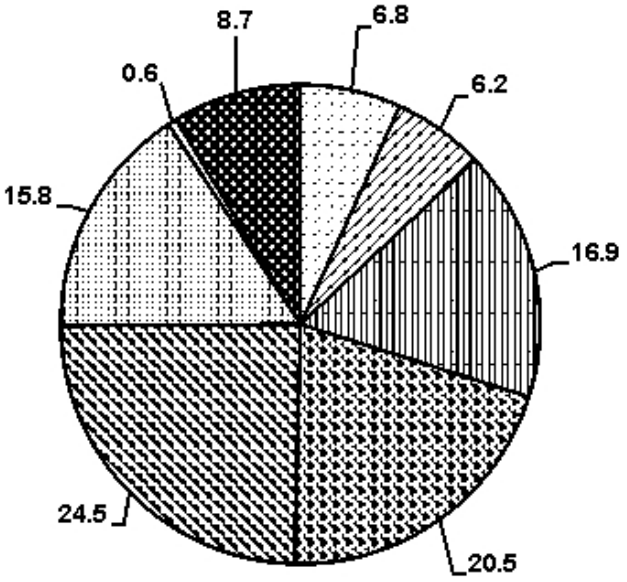

आय–व्ययक अनुमान
2018-19

सारणी- 6.7

कार्यात्मक वर्गीकरण - प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4
1- सामान्य सेवायें	**20.0**	**20.0**	**20.5**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**20.0**	**20.0**	**20.5**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1.8	2.0	1.9
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	1.8	2.0	2.1
1.1.3- न्याय	0.9	1.0	1.1
1.1.4- कारागार	0.5	0.3	0.3
1.1.5- पुलिस	7.1	7.0	7.7
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	7.9	7.7	7.4
1.2- सामान्य शोध	0.0	0.0	0.0
2- सुरक्षा	**0.0**	0.0	**0.0**
3- शिक्षा	**15.9**	**15.6**	**16.9**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.3	0.4	0.5
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	15.6	15.2	16.4
4- स्वास्थ्य	**5.3**	**5.9**	**6.2**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.1	0.2	0.2
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	5.2	5.7	6.0
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**7.1**	**6.7**	**6.8**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	4.9	5.2	5.2
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	2.2	1.5	1.6
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**6.5**	**8.1**	**8.7**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**0.7**	**1.0**	**0.6**
8- आर्थिक सेवायें	**28.9**	**27.9**	**24.5**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.4	0.7	0.7
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	6.5	13.6	8.2
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	0.2	0.7	0.7
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	10.6	5.4	6.9
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	10.0	7.3	7.7
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	1.2	0.2	0.3
9- अन्य सेवायें	**15.6**	**14.8**	**15.8**
9.1- विपदा सहायता	0.2	0.0	0.0
9.2- अन्य विविध कार्य	15.4	14.8	15.8
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.8

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मदें	(व्यय लाख रुपयों में)			(प्रतिशत वितरण)		
	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	वास्तविक 2016-2017	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019
1	2	3	4	5	6	7
1- विकासगत व्यय	**19119556**	**22518545**	**24795783**	**64.0**	**64.5**	**63.0**
1.1- शिक्षा	4734764	5438683	6645577	15.9	15.6	16.9
1.2- स्वास्थ्य	1601238	2046131	2425813	5.3	5.9	6.2
1.3- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	2120247	2339444	2670683	7.1	6.7	6.8
1.4- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1928730	2825123	3442004	6.5	8.1	8.7
1.5- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	210741	365439	229144	0.7	1.0	0.6
1.6- आर्थिक सेवायें*	8523836	9503725	9382562	28.5	27.2	23.8
2- अविकासगत व्यय	**10753269**	**12373827**	**14565581**	**36.0**	**35.5**	**37.0**
2.1- सामान्य सेवायें	5959670	6976404	8069686	20.0	20.0	20.5
2.2- सुरक्षा	8181	11140	12315	0.0	0.0	0.0
2.3- आर्थिक सेवायें	113801	232224	252368	0.4	0.7	0.7
2.4- अन्य सेवायें**	4671617	5154059	6231212	15.6	14.8	15.8
योग	**29872825**	**34892372**	**39361364**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम सम्बंधी व्यय, जिनकों अविकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है, सम्मिलित नही है। इन व्ययों को अविकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिये तथा शरणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

अध्याय-7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1- सामान्य सेवायें-

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है-

1.1-सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था-

1.1.1- सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन-राज्यपाल, मंत्रिमण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल- राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन- चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित है।

1.1.2- करों की उगाही पर व्यय- इसके अन्तर्गत वृहत जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0), विद्युत शुल्क उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प, निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय "अन्य सामान्य सेवायें" उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उपवर्ग में नही दिखाये गये है।

1.1.3- न्याय प्रशासन- न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महाप्रशासन तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि सम्बंधी व्ययों तथा निशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया हैं।

1.1.4- कारागार- प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बंधी डिपों, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प व्यस्यक कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बंधी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5- पुलिस- इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियंत्रण, अपराध अनुसन्धान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस, विभागीय योजनायें, राज्य अग्नि शमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें- इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग,

पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित है। अधिवर्ष भत्ते और पेंशन को सभी कार्य वर्गो में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1.2- सामान्य शोध- इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाले संस्थानों एवं संगठनों तथा तत्सम्बंधी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

2- सुरक्षा- इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेंस सम्बंधी व्यय एवं इनसे सम्बंधित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।

3- शिक्षा-

3.1- सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध- इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्यप्रणाली पर व्यय सम्मिलित हैं।

3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें- इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर मूक एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्र वृत्ति, मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यो हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित है।

4- स्वास्थ्य-

4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध- इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सो आदि के विनियम तथा कार्य प्रणाली, मेषज नियन्त्रण व कार्यशाला, जन्म-मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा इससे सम्बंधित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित है।

4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें-इस उपशीर्षक में इन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका सम्बंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये है। परिवार कल्याण सम्बन्धी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित है।

5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें-

5.1- समाज कल्याण सेवायें- इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्णकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रूग्णालय तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों को परिवीक्षा सेवायें, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बंधी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उपवर्ग में सम्मिलित किये गये है।

5.2- समाज सुरक्षा सेवायें- इस उपवर्ग में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है।

6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें-

इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बंधी प्रशासन विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बंधी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित हैं । इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे सम्बंधित कार्य-कलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़को की सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं जल की निकासी, स्वच्छ एवं धुआँ रहित वातावरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें-

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बंधी चल-चित्र का उत्पादन, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायामशालाओं, खेल-कूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन.सी.सी. प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नही किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्य-कलाप में संलग्न है, को सहायतार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित हैं। धार्मिक सेवायें जैसे- मंदिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान सम्बंधी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है।

8- आर्थिक सेवायें-

8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध- इस उप शीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियन्त्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बाँट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नही है, सम्मिलित है।

8.2- कृषि, वन, सिचाई, मत्स्य एवं शिकार- इस उप शीर्षक में इन विभागों तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चकबन्दी, कृषि सम्बंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम, पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय सम्बंधी व्यय, अभिजन्न क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बंधी व्यय, ऋण अग्रिम एवं अनुदान, दुग्ध सम्पूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वन्य जीवन की संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौध रोपण, वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य- इसके अन्तर्गत खनिज तथा उद्योगों के निदेशालय, अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित हैं।

8.4- विद्युत शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल- इसके अन्तर्गत विद्युत शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत परिषद को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

8.5- परमाणविक ऊर्जा- परमाणविक ऊर्जा सम्बंधी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा वैधानिक संस्थाओं पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है।

8.6– परिवहन तथा संचार– इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यन्त्र तथा उपकरण, पूंजी अन्तरण, जल मार्गो सम्बंधी व्यय, राष्ट्रीय मार्गो, सड़को तथा जल मार्गो एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रकाशन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार सम्बंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है।

8.7– अन्य आर्थिक सेवायें– इसके अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण, बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भण्डारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9– अन्य सेवायें–

9.1– विपदा सहायता– सूखा और बाढ़ सहायता, देवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय दिखाये गये हैं।

9.2– अन्य विविध कार्य– वे सेवायें जिनका वर्गीकरण कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्ग में नही किया गया है जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तर्राज्य जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवक समाज को अनुदान सम्मिलित है। सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण है।

परिशिष्ट-1 (अ)

आय-व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- सामान्य सेवायें	**1458470**	**1203583**	**2337336**	**2609341**	**3052868**	**3968790**	**4518399**	**4861403**	**5959670**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1439027**	**1196257**	**2331748**	**2605209**	**3045340**	**3963198**	**4508577**	**4856908**	**5952420**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	658567	1133932	1081789	199111	252760	256447	387765	436677	544804
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	123752	268988	184628	200103	218602	250150	277284	458715	529056
1.1.3- न्याय	65782	107259	132330	160280	158201	187385	209322	223823	255890
1.1.4- कारागार	44065	50427	85267	57882	55543	70629	89378	127867	137147
1.1.5- पुलिस	30764	41592	47332	1034774	1267497	1481654	1722802	1847129	2123275
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	516097	-405941	800402	953059	1092737	1716933	1822026	1762697	2362248
1.2- सामान्य शोध	19443	7326	5588	4132	7528	5592	9822	4495	7250
2- सुरक्षा	**35955**	**51473**	**54040**	**57540**	**62389**	**82034**	6695	6894	**8181**
3- शिक्षा	**1883592**	**2043563**	**2588221**	**3347228**	**3447037**	**3227177**	**3340579**	**4160525**	**4734764**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	42290	65461	90022	75532	47771	82337	96228	79735	90919
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1841302	1978102	2498199	3271696	3399266	3144840	3244351	4080790	4643845
4- स्वास्थ्य	**307702**	**471865**	**672986**	**687811**	**913396**	**1008421**	**1306147**	**1447819**	**1601238**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	34790	65808	31058	21681	26404	30205	25181	28915	35316
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	272912	406057	641928	666130	886992	978216	1280966	1418904	1565922
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**884994**	**1102684**	**1176152**	**1249298**	**1388355**	**1674745**	**1607235**	**1833816**	**2120247**
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**630429**	**599047**	**621030**	**730230**	**769405**	**904345**	**1440075**	**1688535**	**1928730**
7- संास्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**126236**	**-17531**	**94026**	**-60024**	**40841**	**-25621**	**79702**	90308	**210741**

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**2818131**	**3022487**	**2678113**	**3098668**	**3630012**	**4536029**	**6735269**	**9553706**	**8637637**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	59915	72442	100290	73164	134506	231546	141085	84730	113801
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	820537	846815	1092697	1147747	1181304	1362233	1729278	1713214	1944962
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	100883	80659	50938	79954	101691	132804	208740	400772	70137
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	834766	778422	686947	872169	932988	1281658	2525481	4823397	3177345
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	748393	790141	840410	943168	1106292	1409813	1921672	2241483	2979327
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	253637	454008	-93169	-17534	173231	117975	209013	290110	352065
9- अन्य सेवायें	**1728286**	**1821210**	**2093346**	**2326537**	**2495955**	**2445999**	**2739648**	**3987383**	**4671617**
कुल योग	**10147398**	**11833539**	**13781642**	**15346894**	**17497362**	**20981896**	**21773749**	**27630389**	**29872825**
(ब) विकासगत व्यय	6591169	7149673	7730238	8980047	10054540	11093550	14367922	18689979	19119556
(स) अविकासगत व्यय	3282626	3148708	4585012	5066582	5745718	6728369	7405827	8940410	10753269

परिशिष्ट–1 (ब)

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय–

(प्रतिशत वितरण)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1– सामान्य सेवायें	**14.8**	**11.7**	**19.0**	**18.5**	**19.3**	**22.2**	**20.8**	**17.7**	**20.0**
1.1– सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**14.6**	**11.6**	**18.9**	**18.5**	**19.3**	**22.2**	**20.8**	**17.7**	**20.0**
1.1.1– सामान्य प्रशासन	6.7	11.0	8.8	1.4	1.6	1.4	1.8	1.6	1.8
1.1.2– करों की उगाही का व्यय	1.3	2.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.7	1.8
1.1.3– न्याय	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9
1.1.4– कारागार	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
1.1.5– पुलिस	0.3	0.4	0.4	7.4	8.0	8.3	7.9	6.7	7.1
1.1.6– अन्य सामान्य सेवायें	5.2	-3.9	6.5	6.8	6.9	9.6	8.4	6.4	7.9
1.2– सामान्य शोध	**0.2**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	0.0	**0.0**
2– सुरक्षा	**0.3**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	0.0	0.0	**0.0**
3– शिक्षा	**19.1**	**19.8**	**21.0**	**23.8**	**21.8**	**18.1**	**15.3**	**15.1**	**15.9**
3.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.5	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	18.6	19.2	20.3	23.3	21.5	17.6	14.9	14.8	15.6
4– स्वास्थ्य	**3.1**	**4.6**	**5.5**	**4.9**	**5.8**	**5.7**	**6.0**	**5.2**	**5.3**
4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	2.8	4.0	5.2	4.7	5.6	5.5	5.9	5.1	5.2
5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**9.0**	**10.7**	**9.6**	**8.9**	**8.8**	**9.4**	**7.4**	**6.7**	**7.1**
6– आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**6.4**	**5.8**	**5.0**	**5.2**	**4.9**	**5.1**	**6.6**	**6.1**	**6.5**
7– सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**1.3**	**-0.2**	**0.8**	**-0.4**	**0.2**	**-0.1**	**0.4**	**0.3**	**0.7**

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**28.5**	**29.4**	**21.7**	**22.1**	**23**	**25.4**	**30.9**	**34.5**	**28.9**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.7	0.8	0.5	0.9	1.3	0.6	0.3	0.4
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	8.3	8.2	8.9	8.2	7.5	7.6	7.9	6.2	6.5
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	0.2
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	8.4	7.6	5.6	6.2	5.9	7.2	11.6	17.5	10.6
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	7.6	7.7	6.8	6.7	7.0	7.9	8.8	8.1	10.0
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	2.6	4.4	-0.8	-0.1	1.1	0.7	1.0	1.0	1.2
9- अन्य सेवायें	**17.5**	**17.7**	**17.0**	**16.6**	**15.8**	**13.8**	**12.6**	14.4	**15.6**
कुल योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(ब) विकासगत व्यय	**66.8**	**69.4**	**62.8**	**64.0**	**63.6**	**62.3**	**66.0**	**67.6**	**64.0**
(स) अविकासगत व्यय	**33.2**	**30.6**	**37.2**	**36.0**	**36.4**	**37.7**	**34.0**	**32.4**	**36.0**